<u>सारण समाहरणालय, छपरा (आपदा प्रबंधन शाखा)</u>

पत्रांक............./आ0प्र0

पषक,

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

सेवा में,

निदेषक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी,
बिहार पटना।

छपरा दिनांक.............वों नवम्बर 2017

विषयः – सारण जिला अन्तर्गत पानापुर अंचल में दिनांक–16.10.2017 को घटित नौका दुर्घटना में विभागीय निदेशानुसार लापता व्यक्तियों के संदर्भ में सूचना प्रकाशन के संबंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि सारण जिला अन्तर्गत पानापुर अंचल में दिनांक–16.10.2017 को घटित नौका दुर्घटना में तीन व्यक्तियों के लापता होने के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, मढौरा की जॉच के उपरांत सूचना प्रकाषनार्थ उपलब्ध कराई गई है।

उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधन विभागीय पत्रांक–70 दिनांक–12.01.2009 के निदेषानुसार ''प्राकृतिक आपदा के कारणो से हुई मृत्यु की स्थिति में यदि मृतक का शव नही मिलता है तो संबंधित व्यक्ति के फोटो के साथ समाचार पत्रों में संबंधित व्यक्ति के लापता होने की सूचना प्रकाषित कराई जानी है तथा एक माह की प्रतीक्षा उपरांत लापता/मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।''

अतः अनुरोध है कि इस संदर्भ में संलग्न सूचना को सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाषित करवाने की कृपा की जाय।

<u>अनुलग्नक :– यथाउपरोक्त</u>।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक....................../आ0प्र0 दिनांक.....................................

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना/आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,

सारण, छपरा।

त्स्प्थ 15.11.2017

सारण समाहरणालय, छपरा (आपदा प्रबंधन शाखा)

लापता व्यक्तियों से संबंधित सूचना

सारण जिला अन्तर्गत पानापुर अंचल में दिनांक–16.10.2017 को घटित नौका दुर्घटना में तीन व्यक्तियों के लापता होने के संदर्भ में संबंधित व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, मढौरा की जॉचापरांत लापता निम्न व्यक्तियों से संबंधित सूचना उनकी पता एवं फोटो सहित प्रकाषनार्थ उपलब्ध कराई गई है।

कमांक	लापता व्यक्ति का नाम	पिता एवं पता	संबंधित व्यक्ति का फोटो
1	षिवजी राउत, उम्र–60 वर्ष	पिता–स्व0 रतन राउत, ग्राम–वृत भगवानपुर, थाना–पानापुर, जिला–सारण	
2	मुकेष राम, उम्र–25 वर्ष	पिता–स्व0 सुरेन्द्र राम, ग्राम–पृथ्वीपुर, थाना–पानापुर, जिला–सारण	
3	गोविन्द कुमार, उम्र–18 वर्ष	पिता–स्व0 हरेन्द्र राय, ग्राम–फतेहपुर, थाना–पानापुर, जिला सारण	

विभागीय निदेष के आलोक में उक्त लापता व्यक्तियों की सूचना प्रकाषित की जा रही है। किसी व्यक्ति को यदि उक्त लापता व्यक्ति/व्यक्तियों के संदर्भ में कोई सूचना प्राप्त हो तो वह जिला पदाधिकारी, सारण/अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा/अंचल अधिकारी, तरैया के कार्यालय में उक्त सूचना उपलब्ध करा सकत है।

जिला पदाधिकारी,
सारण छपरा।

संचिका उपस्थापित।

ध्वज क पर संलग्न अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को संबोधित इस कार्यालय के पत्रांक–1196, दिनांक–09.11.2017 के आलोक में ध्वज ख पर प्राप्त अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा का पत्रांक–2073, दिनांक–13.11.2017 (कार्यालय को दिनांक–14.11.2017 के अपराहन् लगभग 05:00 बजे प्राप्त) का कृपया अवलोकन किया जा सकता है। सारण जिला अन्तर्गत पानापुर अंचल में दिनांक–16.10.2017 को घटित नौका दुर्घटना में तीन व्यक्तियों के लापता होने के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, मढौरा की जॉच के उपरांत सूचना प्रकाषनार्थ उपलब्ध कराई गई है।

उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधन विभागीय पत्रांक–70 दिनांक–12.01.2009 के निदेषानुसार ''प्राकृतिक आपदा के कारणो से हुई मृत्यु की स्थिति में यदि मृतक का शव नही मिलता है तो संबंधित व्यक्ति के फोटो के साथ समाचार पत्रों में संबंधित व्यक्ति के लापता होने की सूचना प्रकाषित कराई जानी है तथा एक माह की प्रतीक्षा उपरांत लापता/मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।''

अतः यदि मान्य हो तो लापता व्यक्तिों के संबंध में इनके पता एवं फोटो सहित संलग्न सूचना को सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाषित करवाने की हेतु निदेषक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को भेजते हुए अनुरोध किया जा सकता है।

आदेषार्थ एवं तदनुसार अग्रसारण पत्र/सूचना प्रारूप अनुमोदनार्थ उपस्थापित।

SIZE-11X2=110 SQ CM
DOP-24.11.2017
RO NO-9665 DT-23.11.2017
DAINIK JAGRAN, PATNA
DAINIK BHASKAR, PATNA
AAJ, PATNA